न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–508/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00145)

1. रोशनलाल पुत्र श्री भानाराम उम्र करीब 70 साल, जाति अहीर, निवासी ग्राम सलारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।
2. श्रीमती कमलेश पत्नी श्री लेखराम, जाति अहीर, उम्र करीब 41 साल निवासी ग्राम सलारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. फजरूद्दीन पुत्र चाहत उम्र करीब 44 साल, जाति मेव, निवासी ग्राम बेंगनहेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर। **(मृतक नाम हजफ)**

––असल रेस्पोडेन्ट

2. जुम्मा पुत्र चाहत, उम्र करीब 59 साल जाति मेव, निवासी ग्राम बेंगनहेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।
3. सुमेर पुत्र चाहत, जाति मेव निवासी ग्राम बेंगनहेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।(वारिस मृतक फजरूदीन पुत्र चाहत रेस्पोडेन्ट नं. 1 **मृतक नाम हजफ)**
4. ग्राम पंचायत सलारपुर, पंचायत समिति तिजारा, जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सलारपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–509/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00135)

1. रामकुमार पुत्र लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासी ग्राम सलारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान। **(मृतक दौराने अपील)**
   - 1/1. मूर्तिदेवी बेवा रामकुमार उम्र करीब 75 साल,
   - 1/2. मंगतूराम पुत्र स्व. रामकुमार उम्र 51 साल,
   - 1/3. लीलू राम पुत्र स्व. रामकुमार उम्र करीब 51 साल,
   - 1/4. समशेर पुत्र स्व. रामकुमार उम्र करीब 48 साल,
   - 1/5. पवित्रा पुत्री स्व. रामकमार उम्र करीब 60 साल,
   - 1/6. नीमल पुत्र स्व. रामकुमार उम्र करीब 55 साल,
   - 1/7. रीना पुत्री स्व. रामकुमार उम्र करीब 35 साल, जातियान अहीर निवासीयान सलारपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
2. ओमप्रकाश पुत्र ताराचन्द, जाति यादव, निवासी सलारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. फजरूदीन पुत्र चाहत उम्र करीब 44 साल, जाति मेव, निवासी ग्राम बेंगनहेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर। **(मृतक नाम हजफ)**

––असल रेस्पोडेन्ट

2. जम्मा पत्र चाहत. उम्र करीब 55 साल जाति मेव, निवासी ग्राम

3. सुमेर पुत्र चाहत, उम्र करीब 52 साल, जाति मेव निवासी ग्राम बेंगनहेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।(वारिस मृतक फजरूदीन पुत्र चाहत रेस्पोडेन्ट नं. 1 **मृतक नाम हजफ)**
4. ग्राम पंचायत सलारपुर, पंचायत समिति तिजारा, जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सलारपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 03.10.2011 (प्रकरण संख्या 43बी/07) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है जिस आराजी के तरतीबी रेस्पोडेन्ट जुम्मा एवं सुमेर 1/2–1/2 निस्फ भाग के काबिज काश्तकार खातेदार थे तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट जुम्मा द्वारा अपने हिस्से की आराजी 1/2 भाग को बिल ऐवज 7000/–अक्षरे सात हजार रूपये में दिनांक 19.08.89 को जरिये पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र के द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 रोशनलाल को विक्रय कर कब्जा दे दिया और नियमानुसार बाद जांच नामान्तरकरण संख्या 354 तस्दीक किया जाकर फैसल होकर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट संख्या 1 को 1/2 भाग का काबिज काश्तकार घोषित कर दिया गया शेष आराजी 1/2 भाग आराजी खसरा नम्बर 211 को तरतीबी रेस्पोडेन्ट सुमेर ने भालाराम पुत्र ठाकरिया को जरिये पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 23.08.89 को विक्रय कर कब्जा दे दिया जिस भालाराम का देहान्त हो चुका है जिस भालाराम के वारिसान ने उक्त 1/2 भाग को अपीलान्ट संख्या 2 को विक्रय कर दिया जो अपीलान्ट संख्या श्रीमती कमलेश अपीलान्ट संख्या 1 की पुत्रवधु है जिसके हक में नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकृत हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट संख्या 2 को खातेदार दर्ज किया हुआ है इस आधार पर अपीलान्ट उक्त आराजी के सद्भाविक क्रेता है जबकि असल रेस्पोडेन्ट ने तरतीबी रेस्पोडेन्ट जुम्मा व सुमेर से साजबाज होकर आदेश दिनांक 26.09.76 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहॉ अपील प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से व विधि विरूद्ध तरीके पर दिनांक 03.10.11 को आदेश प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 42 को निरस्त करवा दिया, उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 एग्रीव्ड

अधिकार प्राप्त है जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्व में अपीलान्ट का कोई जानकारी नही थी अपीलान्ट विवादित आराजी के खातेदार है परन्तु अपीलान्ट को निर्णय पारित करने से पूर्व जानबुझकर बदनियति से कोई नोटिस नही दिया गया, अपीलान्ट को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी गांव में चर्चा होने पर दिनांक 20.03.2012 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में अवगत कराया। अपीलान्ट को दिनांक 20.03.12 से पूर्व उक्त आदेश की जानकारी नही थी इस प्रकार उक्त देरी की अवधि जानकारी के अभाव में हुई है तथा नेकनीयती पर आधारित है जिसको माफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.10.2011 अन्तर्गत अपील संख्या 43बी/07 को निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जो नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 26.09.76 ग्राम पंचायत सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर को निरस्त किया है, उसको बहाल किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस पेश की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 42 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार चाहत पुत्र भोला की विरासत का नामान्तरकरण उसके दो पुत्रो जुम्मा व सुमेर के नाम सरपंच ग्राम पंचायत सलारपुर द्वारा तस्दीक किया गया है जबकि फजरूद्दीन ने अपने आपको वादग्रस्त आराजी के खातेदार चाहत का पुत्र बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के परिवार राशनकार्ड की सत्य प्रतिलिपि एवं मतदाता पहचान पत्र इत्यादि के अवलोकन से फजरूद्दीन को खातेदार चाहत का प्रथम दष्टया वारिस प्रतीत होने पर अपीलाधीन आदेश

अवसर देकर पुनः नामान्तरकरण की विधि अनुसार कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ही किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार तिजारा द्वारा प्रकरण में अभी कार्यवाही की जानी शेष है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट तहसीलदार तिजारा के समक्ष अपना पक्ष समर्थन रखकर अपने हितों के लिये चाराजोही कर सकते। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार चाहत की विरासत से सम्बन्धित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2011 उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2011 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।